# राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

*****

7-8 वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

**एन.एफ-12012/1/2023-स्था.-एनएफआरए** दिनांक: .13.03.2024

**एनएफआरए में परामर्शदाता (हिंदी) के रूप में केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी (स्तर 11/स्तर 10) की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना**

महोदय/ महोदया,

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। एनएफआरए की स्थापना सार्वजनिक हित, निवेशकों, लेनदारों और कंपनियों या कॉर्पोरेट निकायों से जुड़े अन्य लोगों के हितों की रक्षा के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा के उच्च गुणवत्ता मानकों को स्थापित और कंपनियों तथा कारपोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों की प्रभावी निगरानी करके की गई है। अधिक जानकारी वेबसाइट https://nfra.gov.in/. से प्राप्त की जा सकती है।

2. एनएफआरए, व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3-25/2020-ई.IIIक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, नई दिल्ली स्थिति अपने मुख्यालय में संविदा आधार पर परामर्शदाता (हिंदी) को नियोजित करने के लिए केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त **स्तर 11 और स्तर 10** के पात्र अधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद से संबंधित ब्यौरे, कार्यक्षेत्र, नियोजन आदि की सामान्य शर्तों आदि के ब्यौरे **अनुलग्नक I** पर प्रस्तुत हैं। आवेदन के लिए प्रपत्र **अनुलग्नक-II** पर प्रस्तुत है।

3. इच्छुक और पात्र व्यक्ति ई-मेल आईडी manager-admn@nfra.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति सहित अपने भरे गए आवेदन पत्रों की स्कैन की गई प्रति को अधिकतम दिनांक **12.04.2024** तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन (मूल) की हार्ड कॉपी सचिव, एनएफआरए, 7 वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित करते हुए लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "परामर्शदाता (हिंदी) के लिए आवेदन" लिखकर भेज सकते हैं। नोटिस में कोई परिवर्तन किए जाने की स्थिति में उसे एनएफआरए वेबसाइट nfra.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। तद्नुसार, इच्छुक व्यक्तियों को चाहिए कि वे नियमित रूप से एनएफआरए वेबसाइट देखें।

मृत्युंजय सिंह

**(मृत्युंजय सिंह)**
**उप महाप्रबंधक**

**संलग्नक: उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

1. अवर सचिव, डीओपीटी को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस परिपत्र को डीओपीटी की वेबसाइट के संबंधित **अधिसूचना** खंड में इस अपलोड करने की व्यवस्था करें।
2. सहायक प्रबंधक (आई.टी.), एनएफआरए को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को एनएफआरए की वेबसाइट पर अपलोड करें और इसके साथ-साथ एमसीए की वेबसाइट और एनएफआरए के सोशल मीडिया अकाउंट/हैंडलों की वेबसाइट के लिए भी व्यवस्था करें।

**अनुलग्नक - I**

## आवश्यकताओं का विवरण

1. **नाम** - परामर्शदाता (हिंदी)

2. **पद की संख्या** - एक (01)

3. **अर्हता और अनुभव -**

(i) आवेदक सेवानिवृत्ति के समय नियमित आधार पर वेतन स्तर 11 या 10 का केंद्र सरकार का अधिकारी होना चाहिए और उसे अनुवाद कार्य एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का काफी अनुभव होना चाहिए।

(ii) उसके पास अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की उत्कृष्ट जानकारी होने के साथ-साथ कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि के संचालन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

(iii) उसके पास बेहतर संचार और अंतर-व्यक्तिगत कौशल, कंप्यूटर अनुप्रयोगों जैसे एमएस वर्ड, पावर प्वाइंट, एक्सेल, यूनिकोड, इन-स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर टंकण आदि का उचित ज्ञान होना चाहिए।

(iv) उसकी आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(v) वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

4. **कार्यक्षेत्र -**

(i) आधिकारिक दस्तावेजों का अनुवाद

(ii) सरकारी दस्तावेजों को हिंदी में टंकित करना

(iii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

(iv) कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि की व्यवस्था करना

(v) समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

5. **अनुबंध की शर्तें**

i) अनुबंध की शर्तें अनुबंध III में बताई गई हैं।

ii) परामर्शदाता को निर्धारित सामान्य कार्य घंटों का पालन करना होगा। (यानी सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक)। कार्य की अनिवार्यता में उन्हें शनिवार / रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर देर से बैठने और/या बुलाए जाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा।

iii) परामर्शदाता किसी भी स्तर के अधिकारियों के साथ संलग्न हो सकता है और उसे बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से काम करना होगा।

iv) परामर्शदाता की सेवा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है। यदि परामर्शदाता किसी भी कारण से कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे कार्यालय को न्यूनतम एक महीने का नोटिस देना होगा। एनएफआरए का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा।

v) समय-समय पर लागू पारिश्रमिक/भुगतान से करों की कटौती की जाएगी।

13/3/2024

6. **अनुबंध की सामान्य शर्तें:**

i) चयनित परामर्शदाता समय-समय पर संशोधित सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होगा और इस कार्यालय में 'परामर्शदाता' के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को ऐसी किसी भी जानकारी/डेटा का खुलासा नहीं करेगा जो उसके संज्ञान में है। ऐसे सभी दस्तावेज प्राधिकरण की संपत्ति होंगे।

ii) वह सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना अपने कार्य के प्रयोजन के लिए या इस कार्यालय के लिए असाइनमेंट के दौरान एकत्र किए गए डेटा या सांख्यिकी या कार्यवाही या जानकारी के किसी भी हिस्से का उपयोग या प्रकाशन या भाग किसी तीसरे पक्ष को नहीं देगा।

iii) उसे हर समय, एनएफआरए के हित में कार्य करने के साथ-साथ पेशेवर सत्यनिष्ठा के साथ किसी भी सेवा को प्रदान करना होगा।

iv) वह इस कार्यालय में परामर्शदाता के रूप में काम करते हुए सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, किफायत और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा।

v) इस प्रकार नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या राय या सलाह नहीं देगा जो इस कार्यालय के हित के प्रतिकूल है और न ही वह संविदात्मक असाइनमेंट की शर्तों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होगा।

vi) उम्मीदवार को एक गैर-प्रकटीकरण वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ प्राधिकरण के साथ गोपनीयता के समझौते पर हस्ताक्षर करने होगें।

15/3/2024

अनुबंध - II

**एनएफआरए में परामर्शदाता (हिंदी) के लिए आवेदन प्रपत्र**

आवेदक की पासपोर्ट आकार की वर्तमान रंगीन फोटो

| क्र.सं. | विवरण | आवेदक द्वारा भरा जाने वाला विवरण |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) | |
| 2. | पिता/ पति का नाम | |
| 3. | राष्ट्रीयता | |
| 4. | लिंग (पुरुष/महिला) | |
| 5. | जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) | |
| 6. | आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार आयु (अर्थात् 12. 04. 2024) | _____वर्ष____माह___दिन |
| 7. | संपर्क विवरण:<br>वर्तमान पता<br><br>ईमेल:<br><br>मोबाइल नंबर:<br><br>लैंड लाइन नंबर: | |
| 8. | स्थायी पता | |
| 9. | सेवानिवृत्ति की तिथि:<br><br>कृपया पेंशन आदेश की प्रति संलग्न करें | |

मृत्युंजय मिश्र
13/3/2024

| | | |
|---|---|---|
| 10. | सेवानिवृत्ति के समय धारित पद और वेतन स्तर (7वें सीपीसी के अनुसार)। | |
| 11. | अंतिम वेतन और मूल पेंशन (7वें सीपीसी के अनुसार) (एलपीसी और पीपीओ की प्रतियां संलग्न की जाएं) | |
| 12. | शैक्षिक अर्हता दस्तावेज संलग्न करें | |
| 13. | टाइपिंग में ग्रेड विशेषज्ञता: (अंग्रेजी/हिंदी/दोनों में समान रूप से अर्जित ज्ञान) | |

14. सेवानिवृत्ति से पहले पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार में सेवा का कालक्रम

| **क्र.सं.** | **अवधि** | **तैनाती का स्थान, जिस अधिकारी के साथ काम किया गया उसका पदनाम** | **किए गए कार्य का सार** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**नोट- कृपया आवेदन के पूरे सेट पर पृष्ठ संख्या डाले और संलग्न दस्तावेजों की अनुक्रमणिका संलग्न करें।**

15. कृपया उन दो वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ प्रस्तुत करें जिनके अधीन आवेदक ने विभिन्न कार्य किए हैं:

प्रस्तुत किए जाने वाले संदर्भों में उल्लिखित विवरण: नाम, पदनाम, मंत्रालय / विभाग ई-मेल आईडी, उस अधिकारी का संपर्क नंबर जिसके साथ आवेदक ने काम किया है।

16. क्या सरकारी सेवा के पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई मामूली जुर्माना / बड़ा जुर्माना लगाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

17. सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 05 वर्षों के दौरान एसीआर ग्रेडिंग वर्षवार:

| **वर्ष** | **एसीआर ग्रेडिंग** |
|---|---|
| | |
| | |

मृत्युंजय मिश्र
15/3/2024

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

18. मैं एतद्वारा निम्नलिखित को प्रमाणित/सत्यापित करता हूं :-

(i) मैंने पात्रता संबंधी मानदंडों को पढ़ने के बाद समझ लिया है और मैं उन्हें पूरा करूगां।

(ii) ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सत्य है।

(iii) मैं समझता हूं और सहमत हूं कि चयन/साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय किसी भी जानकारी के गलत या गलत/अपूर्ण या असत्य पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है और मैं एनएफआरए के निर्णय का पाबंद रहूंगा।

(iv) मैंने एनएफआरए में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के नियमों और शर्तों को समझ लिया है और मैं इन सभी नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से और बिना शर्त स्वीकार करता हूं।

तिथि के साथ आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

मृत्युंजय सिंह

13/3/24

**Annexure-III**

F. No. 3-25/2020-E.IIIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

Dated the 9th December, 2020

## Office Memorandum

**Subject: Regulation of Remuneration in case of Contract Appointment of Retired Central Government Employees.**

The undersigned is directed to say that Ministries/Departments appoint retired Central Government employees on contract basis, including as Consultants on contract basis. However, at present there are no uniform guidelines for regulation of remuneration in such cases.

2. The existing instructions of Department of Personnel and Training, as contained in their Central Civil Services (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Orders, 1986, as amended from time to time, provide for regulation of pay in case of re-employment. However, the instructions of Department of Personnel & Training as contained in their OM No. 26012/6/2002- Estt (A) dated 9.12.2002 provides that re-employment beyond the age of superannuation of 60 years shall not be permissible. Also, as per their OM No. 3(3)/2016-Estt (Pay II) dated 1.5.2017, the pay plus gross pension on re-employment is not to exceed Rs.2,25,000/-, i.e. Pay Level 17 as applicable to an officer of the level of Secretary to the Government of India.

3. Aforementioned instructions of Department of Personnel & Training on pay fixation in case of re-employment apply only to persons appointed on re-employment. These are not applicable to persons employed on contract basis except where the contract provides otherwise. Accordingly, in cases of appointment of retired Central Government employees on contract basis after the age of superannuation at 60 years, the instructions on pay fixation on re-employment will not directly apply.

4. Department of Personnel & Training has also informed that they are in the process of drafting a Note for Committee of Secretaries (CoS) regarding guidelines for engagement of retired Government servants as Consultant in Government Ministries and Department. In view of this, till Department of Personnel and Training finalizes their guidelines, there is a need to regulate remuneration in such cases of contract appointment of retired Central Government employees on a uniform basis. The matter has, therefore, been considered and it has been decided that regulation of remuneration in case of appointment of retired Central Government employees on contract basis, including as consultants, shall be regulated as provided hereinafter.

5. At the outset, such appointments shall not be made as a matter of practice and must be kept at a bare minimum. Such appointments may be made only in the justified exigencies of the official work where public interest is served by appointment of the retired employee. While making such appointments, adequate functional necessity with clear grounds must be placed before the appointing authority.

6. **Remuneration**

6.1 A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. There will be no annual increment / percentage increase during the contract period.

**Example**

An employee retired in the Pay Level 13 and the pay at the time of retirement was Rs. 1,55,900. Thus, the basic pension will be Rs. 77,950. If the employee is appointed on contract basis, including as Consultant, the remuneration shall be fixed at Rs.77,950 (1,55,900-77950).

6.2 The basic pension to be deducted from the last pay drawn shall be the pension as fixed at the time of retirement and as such, if the employee has availed of the commuted value of pension, the commuted portion of pension shall also be included in the portion of pension to be deducted. Thus, in the above example, if 40% of pension was commuted, the commuted portion shall be Rs. 31,180 (40% of 77,950) and the pension actually drawn shall be Rs. 46,770. However, the amount of pension to be deducted from the last salary shall be Rs 77,950.

6.3 No Increment and Dearness Allowance shall be allowed during the term of the contract.

7. **Allowances**

7.1 **House Rent Allowances**

No HRA shall be admissible.

7.2 **Transport Allowance**

An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. However, retired employees engaged as consultants may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement.

7.3 Leave of absence

Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed.

8. **Term of Appointment**

8.1 The term of appointment shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year. Beyond two years after the age of superannuation where adequate justification exists, the term may be extended based on a review of the task and the performance of the contract appointee, provided it shall not be extended beyond 5 years after superannuation.

8.2 The consultant shall sign an agreement of confidentiality with the Government of India containing a clause on Ethics and Integrity.

9. **Exemptions**

**The terms of appointment provided for in these orders shall not apply to cases and to the extent where the Appointments Committee of Cabinet has allowed special terms OR where special provisions have been allowed with the approval of the Department of Personnel & Training OR Department of Expenditure.**

10. These orders shall apply to appointments made in the Central Government and shall be effective from the date of issue of the orders, until further orders or until instructions are issued by DoPT regulating remuneration of retired Government employees on their engagement as consultants. The past cases shall not be reopened in the light of these orders until the normal term of those past cases. Any relaxation of the above will be required to be referred to Department of Expenditure.

(B.K.Manthan)
Deputy Secretary

To,

All the Ministries and Departments of the Government of India as per the standard list.